तत्काल

सं.12/28/2021-डीपी-II(भाग-I)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 23.02.2022

विषय: - नशीली दवा की मांग में कटौती करने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर) संबंधी स्कीम के अंतर्गत जिला नशामुक्ति केंद्रों को स्थापित करने के लिए पात्र संगठनों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति एवं प्रस्ताव आमंत्रित करना।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नशीली दवा की मांग में कटौती करने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर) संबंधी स्कीम के अंतर्गत जिला नशामुक्ति केंद्रों को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित जिलों हेतुपात्र संगठनों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति एवं प्रस्ताव **आमंत्रित करता है:**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	जिले और क्षेत्र का नाम	जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रफल सहित प्रदत्त परियोजना अवस्थल
1.	अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग	5000 वर्ग फुट क्षेत्रफल काबोरडुमसा नशामुक्ति केंद्र, चांगलांग
2.		लोहित	तेजू से दो विभिन्न मार्गो पर लगभग 65 और 78 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राज्य पंचायती राज विभाग, वाक्रों (ईएसी मुख्यालय) भवन जिसमें चित्र के अनुसार पर्याप्त स्थल है
3.	जम्मू और कश्मीर	बांदीपोरा	9000 वर्ग फुट (4000 वर्ग फुट का भवन + 5000 वर्ग फुट का लॉन)क्षेत्रफल का कालूसां

			बांदीपोरा स्थित बांदीपोरा सूचना और प्रौद्योगिकी कॉलेज
4.	झारखंड	चतरा	4000 वर्ग फुट क्षेत्रफल और भूतल पर 7 कमरे, 1 हाल और प्रथम तल पर 8 कमरे और एक हाल
5.	केरल	मल्लापुरम	सरकारी मानसिक रोग आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, कोटाक्कल, मल्लापुरम का परिसर जो जिला मुख्यालय से 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है और इसके भवन का क्षेत्रफल 50,000 वर्ग फुट है
6.	नागालैंड	मोन	जहाजोन वार्ड, मोन टाउन जिसका क्षेत्रफल 45,000 वर्ग फुट है और जिसमें 8 क्लाइंट रूम, 2 काउंसलर रूम, 1 बैठक हाल, 1 रसोई घर और डायनिंग रूम है
7.	उत्तराखंड	चमोली	राजकीय इंटरमीडियट कॉलेज, गवाडदेवलाधर (उच्च माध्यमिक विद्यालय), जो गोपालेश्वर मंडल रोड मार्ग पर हैं और जिला मुख्यालय से 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है,का क्षेत्रफल 4000 वर्ग फुट है और उसमें 5 कमरे, 1 शौचालय और 1 रसोई घर है
8.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	बीएल तथा एलआरओ, जिला जलपाईगुड़ी के अंतर्गत आरएस प्लॉट नं. 76, मोझा–किस्मत सुखानी (शीट- 5), जे.एल. नं. 003, आर एस खतियन न.I जिसके भवन का क्षेत्रफल 5167 वर्ग फुट है
9.		कूच बेहर	बीएल तथा एलआरओ, पुंडीवाड़ी, जिला कूच बेहर-736165 के अंतर्गत आर एस प्लॉट नं.7271, मोझा - कलारयइरकुथी, जे.एल. नं. 009, खतियन नं. 1 भवन का क्षेत्रफल 9763 वर्ग फुट है

10.		दार्जलिंग	बीएल तथा एलआरओ, खारीबाड़ी, दार्जलिंग के अंतर्गत प्लॉट नं. 918, मोझा- चुन्नीलाल, जे. एल. न.12 खतियन नं.1 भवन का क्षेत्रफल - 8319 वर्ग फुट है

जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) की स्थापना और उसका संचालन निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा:--

1. विशेष रुप से प्रत्येक जिला मुख्यालय अथवा उपयुक्त गम्य स्थल जहां जिला प्रशासन द्वारा नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराया जाएगा, में जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) स्थापित किया जाएगा। ये डीडीएसी व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगें जो अब तक आईआरसीए, ओडीआईसी और सीपीएलआई द्वारा मिलकर प्रदान कीजा रही हैं।

2. जिन जिलों में, सभी तीन मौजूदा सुविधाएं अर्थात आईआरसीए, सीपीएलआई, ओडीआईसी उपलब्ध हैंऔर जिन्हे मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, उन्हे एक हीछत के नीचे लाया जाएगा। एक ही जिले में मौजूद आईआरसीए, सीपीएलआई अथवा ओडीआईसी को जिला प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त डीडीएसी के भवन में स्थानांतरित किया जाएगा।

3. नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा डीडीएसी के काम-काज की निगरानी की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिले के सेवानिवृत्त प्रख्यात व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं, कुलपति/विभागाध्यक्ष (एचओडी)/प्रधानाचार्य, अनुसंधानकर्ता, विद्वानों आदि को अध्यक्ष द्वारा गठितसमिति मेंसदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। यह समिति नीतिसंबंधी मुद्दों की निगरानी करेगी। कार्यान्वयन से संबंधित राजमर्राके कामकाज और अन्य कार्यकलापों की जिम्मेदारी डीडीएसी की स्थापना के लिए अनुमोदित संबंधित संगठन/एनजीओ की होगी।

4. डीडीएसी की बैठक छ: माह में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी जिसमे एनएपीडीडीआर के अंतर्गत अनुमत्य विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में डीडीएसी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि अनुमोदित की जाएगी। यह समिति सेवा की सुपुर्दगी की प्रभाविता के संबंध में डीडीएसी के काम-काज और उसके कार्य

निष्पादन की समीक्षा भी करेगी और डीडीएसी के प्रबंधन वर्ग को आगे सुझाव भी देगी।

5. एनजीओ/संगठन के नाम से डीडीएसी की निधियों को सुरक्षित रखने के लिए एक पृथक (संमर्थित) खाता भी खोला जाएगा। इस खाते को पीएफएमएस पर पंजीकृत किया जाएगा और इसे ईएटी मॉड्युल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

6. डीडीएसी की स्थापना के लिए, उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें आईआरसीए, सीपीएलआई अथवा ओडीआईसी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए जो संगठन/स्टार्ट-अप नशीली दवा के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक होंगे, वे डीडीएसी के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

7. युवकों/पेशेवरों के स्टार्ट-अप, जिन्होंने भारत अथवा विदेश के उत्कृष्ट सामाजिक संस्थानों से स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है, आवेदन करने के भी पात्र हैं।

8. इच्छुक एनजीओ/स्टार्ट-अप/संगठन मंत्रालय के ई-अनुदान (https://grants-msje.gov.in/ngo-login) पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।मंत्रालय की परियोजना चयन समिति डीडीएसी की स्थापना और संचालन के लिए पात्र एनजीओ/स्टार्ट-अप का चयन करेगी और दो किस्तों में निधियां जारी करने की सिफारिश करेगी। तथापि संगठन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की तारीख से इस स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।.

9. यह विज्ञापन मंत्रिमंडल द्वारा एनएपीडीडीआर की संशोधित स्कीम के अनुमोदन के अध्यधीन है।

10. **पात्र संगठन:** जो संगठनसामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित आईआरसीए अथवा राज्य सरकार द्वारा समर्थित नशामुक्ति केंद्र/ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के अंतर्गत पंजीकृत किसी सरकारी अस्पताल अथवा किसी गैर सरकारी नशामुक्ति केंद्र को पहले से ही संचालित कर रहे है, वे डीडीएसी के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। जो प्रस्ताव आमंत्रित करने की तारीख से पिछले दो वर्षों अथवा उससे अधिक समय से पहले ही आईआरसीए/नशामुक्ति केंद्र को संचालित कर रहे है, वे आवेदन कर सकते है। सरकार द्वारा संचालित किसी अस्पताल/स्टार्ट-अप/नए पेशेवरों द्वारा स्थापित स्थापनाओं, जो गैर लाभप्रद स्वरूप की होगी, उनके मामले में शर्तों को शिथिल किया जाएगा।

डीडीएसी की भूमिका और जिम्मेदारी

डीडीएसीका मुख्य केंद्र बिंदु शीघ्र निवारण, शिक्षा, मांग में कटौती, असुरक्षित व्यक्तियों अथवा नशीले पदार्थों का दुरूपयोग करने से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान/उपचार और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना होगा .

डीडीएसी निम्नलिखित कार्य करेगी

क. असुरक्षित व्यक्तियों और प्रभावित समुदाय के बीच जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिक निवारण गतिविधियों का संचालन करना

ख. बच्चों/किशोरों/युवकों के बीच नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के जोखिम को निम्नलिखित प्रयासों द्वारा कम करना:

- नशीले पदार्थों के दुरुपयोग का निवारण
- नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की शुरुआत में देरी करना
- समुदाय में संगतपरक शिक्षकों की पहचान करना और उनका प्रशिक्षण के लिए चयन करना
- प्रशिक्षित संगतपरक शिक्षकों द्वारा पूर्वनिवारण शिक्षा को कार्यान्वित करना
- समुदाय में पहचान किए गए नशीले पदार्थों पर निर्भर किशोरों के लिए परामर्शी, उपचार और पुनर्वास संबंधी सेवाओं हेतु रेफ्ररल और लिंकेंज के बारे में जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना
- नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर निर्भर किशोरों और अन्य व्यक्तियों की पहचान करना और पुनर्वास केंद्रों/ड्राप-इन सेंटरों में उनके रेफरल/दाखिले की व्यवस्था करना
- नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर निर्भर व्यक्ति के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ (डब्ल्यूपीआर) के लिए कौशल विकास सहित उपचार,पश्चातवर्ती देखभाल और पुनर्वास सहित पूर्ण सेवाएं प्रदान करना
- नशीले पदार्थों का सभी रूप में अवैध दुरुपयोग को रोकने के लिए नशीली दवा की मांग में कटौती करने का प्रयास करना और सम्पूर्ण मानवता का स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करना

- व्यक्तियों, परिवार और समाज के बड़े वर्ग के बीच नशीले पदार्थों की निर्भरता के परिणामों को समाप्त करना

11. **प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 07.03.2022है**

12. **डीडीएसी के बजट संबंधी ब्यौरे अनुबंध के रूप में संलग्न हैं**